उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-60/2840/पांच-8-2016-जी0(119)/2016
लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 अरूण कुमार यादव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। पुन: शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-534/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 28-02-2012 द्वारा जनपद-श्रावस्ती की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन तैनात किया गया। उक्त आदेश के क्रम में डा0 यादव द्वारा दिनांक 01-03-2012 को नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शरीफाबाद, बाराबंकी में कार्यभार ग्रहण किया। तदोपरान्त वर्ष 2013 में डा0 यादव का चयन पी0जी0(कम्युनिटी मेडिसिन) में ऐराज मेडिकल कालेज, लखनऊ में हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय-संख्या-2921/पांच-8-2013-म(03)/2013, दिनांक 24-10-2013 द्वारा पी0जी0 अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की गयी। डा0 अरूण कुमार यादव द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 24-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अरूण कुमार यादव, चिकित्साधिकारी को राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 अरूण कुमार यादव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27-10-2016 तक राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-60/2840(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अरूण कुमार यादव, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 27-10-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजबाद/लखनऊ/देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।

5- निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती/बाराबंकी/लखनऊ।

7- कोषाधिकारी, श्रावस्ती/बाराबंकी/लखनऊ।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-61/2677/पांच-8-2016-जी(187)/2016

लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पॉच-8-12-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा० प्रज्ञा वाजपेई चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी के अधीन की गई थी, उनके द्वारा दिनांक 29-09-2012 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा० वाजपेई द्वारा दिनांक 29-09-2012 को सेवा में कार्यभार ग्रहण किया गया। डा० वाजपेई द्वारा दिनांक 26-04-2016 द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त डा० वाजपेई ने पत्र दिनांक 25-07-2016 द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत न करके पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18फ/715/2012/849, दिनांक 12-08-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा० प्रज्ञा वाजपेई को मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनको दिनांक 26-04-2016 अर्थात त्याग पत्र दिये जाने की तिथि से कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि के मध्य की अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा० प्रज्ञा वाजपेई को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22-10-2016 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

डा० नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव।

-2/-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-61/2677(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी।

7- संबंधित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।